निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 130/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

लादूराम शर्मा पुत्र श्री घासीराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम गोल्यावास, पंचालियों की ढाणी, तहसील संगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान शर्मा पुत्र श्री रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण
2. शुभम शर्मा पुत्र स्व॰ श्री भवान सहाय जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नी स्व॰ श्री भगवान सहाय, जाति हरियाणा ब्राह्मण
3. कानाराम पुत्र स्व॰ श्री भवान सहाय जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नी स्व॰ श्री भगवान सहाय, जाति हरियाणा ब्राह्मण

   समस्त निवासी ग्राम गोल्यावास, पंचालियों की ढाणी, तहसील संगानेर, जिला जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर ,तहसीलदार जिला जयपुर ।
5. उप पंजीयक सप्तम, सांगानेर, जयपुर
6. श्री हिम्मत सिह आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 214/2024 ब उनवानी लादूराम बनाम हनुमान शर्मा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 19.11.2024**

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 214/2024 ब उनवानी लादूराम बनाम हनुमान शर्मा व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में नानगराम पुत्र रूपा उर्फ रूपनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण ने उपस्थित होकर आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद वर्तमान में विचारण हेतु नियत है, किन्तु विचारण न्यायालय की कार्य प्रणाली पर संदेह

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

उत्पन्न होता है । इसलिए प्रार्थी को विचारण न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है । इसलिए प्रार्थी का वादपत्र किसी अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप में नहीं की जा सकेगी। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यांयालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. आदेश 01 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ प्रस्तुतकर्ता अप्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु आदेश 01 नियम 10 व 151 जप्ता दीवानी का पेश किया जिसका प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक जबाब पेश नहीं कर यह ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आपस में मिले हुये है व प्रार्थी के पक्ष में हुई डिक्री दिनांक 14.08.20244 की पालना नहीं होने देने के आशय से उक्त वाद में एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित करवा लिया है व प्रार्थी नानगराम को सुनवाई का अवसर नहीं देना चाहते है। अतः आदेश 01 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अप्रार्थी नानगराम का आदेश 01 नियम 10 सी पी सी बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र अभी लम्बित है। इसलिए अप्रार्थी नानगराम का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने के पश्चात यह पाया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया हुआ है और प्रार्थी ने ही मुन्तकिल प्रार्थना पेश किया है। जिससे प्रार्थी की मूल वाद के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों विपरीत है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर